पत्र संख्या– HPFD-F05/8/2025-FCA
वन विभाग हिमाचल प्रदे ा।

प्रेषक: नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, ि ावालिक खण्ड,लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश–1710001

दिनांक शिमला–1

विषयः **Diversion of 35.1655 ha of forest land in favour of HPSEB, for the construction of SoP to AIIMS Kothipura, within the jurisdiction of Bilaspur & Suket Forest Divisions, Distt. Bilaspur & Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/TRANS/148191/2021)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र सं0 एफ0सी0 / एच0पी0सी0 / 04 / 34 / 2022 दिनांक 08/08/2023 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विशयाअधिन प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1ण	**A. वे भार्ते जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आव यकता है:-** प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा राि ा जमा करवाई जाए।	प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राि ा जमा करावा ली है।
2ण	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे ाों की अनुपालना सुनिि चत करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे ाों की अनुपालना सुनिि चत करेंगी। बचन बद्वता संलग्न हैं ।
3ण	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदे ा दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 35.1655 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए ।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदे ा दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय , भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 35.1655 हेक्टेयर की नेट प्रजेंट वेलयु जमा करवाई जाए ।
4ण	प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मत्रांलय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई	प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मत्रांलय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर ली गई है।

	जाए।	
5ए	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड की जाए।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड की गई।
6ए	प्रयोत्का एजेंसी को यह सुनिच्श्रित करना है कि प्रतिपूरक भुाल्क (सीए लागत, वन एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। टनय माघ्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में विकार नहि किया जाएगा ।	प्रतिपूरक भुाल्क (सीए लागत, वन एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए गए हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए गए हैं।
7ए	प्रयोत्का एजेंसी यह सुनिच्श्रित करेगी कि सभांग में कोई टनय प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही **स्वीकृत** किया जा चुका है। Stage-I अनुमोदन की भार्तों के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आ ाय का एक वचन पत्र कि **"इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है"** प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए अनिवार्य होगा ।	इस आशय का एक वचन पत्र कि **"इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है"** प्रयोक्ता अभिकरणर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
8ए	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।
9ए	वन मडंल अधिकारी यह लिखित आ वासन देंगे की इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूरक पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	वन मडंल अधिकारी यह लिखित आ वासन दिया गया है कि स्वीकृत प्रतिपूरक पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वच्छानुसार नहीं बदलेंगे।
I.	**B. वे भार्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोत्का एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फिल्ड में कडाई से पालन करने की आव यकता हैं, परन्तु अडंरटेकिंग के रुप में अनुपालन स्टेज–।। अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है।** वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
ii.	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्यां किसी भी रुप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यदि muck dumping site प्रस्ताव में सम्मिलित है, तो वहां कोई भी वृक्ष पातन नहीं किया जाएगा।	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्यां किसी भी रुप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षोंकी कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
iii.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 0.43 है0 के पौधरोपण का कार्य DPF Chamyoun, Sadar Forest Range, 10 ha Compartment No. UPF Bassi (Bassi block) Patch No.2, Naina Devi ji Forest Range, 5	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 0.43 है0 पर पौधरोपण का कार्य DPF Chamyoun, Sadar Forest Range, 10 ha Compartment No. UPF Bassi (Bassi block) Patch No.2, Naina Devi ji Forest Range, 5 Compartment No. UPF Beriwali

	Compartment No. UPF Beriwali (Saloa Block) Patch No-3, Naina Devi ji Forest Range, 5 ha UPF Bhater ((Saloa Block) Patch No-4, Naina Devi ji Forest Range, 10 ha UPF Chamarda (Bharka Blcok) Patch No-5, Naina Devi ji Forest Range, 10 ha UPF Dabat (Bassi Block) Patch No-6, Naina Devi ji Forest Range, 12 ha UPF Dhara (Swahan Block) Patch No-7, Naina Devi ji Forest Range, 5 ha UPF Dadoh (Kot Block) Patch No-8, Naina Devi ji Forest Range, Bilaspur Forest Division, Distt. Bilaspur, पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रुप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा।	(Saloa Block) Patch No-3, Naina Devi ji Forest Range, 5 ha UPF Bhater ((Saloa Block) Patch No-4, Naina Devi ji Forest Range, 10 ha UPF Chamarda (Bharka Blcok) Patch No-5, Naina Devi ji Forest Range, 10 ha UPF Dabat (Bassi Block) Patch No-6, Naina Devi ji Forest Range, 12 ha UPF Dhara (Swahan Block) Patch No-7, Naina Devi ji Forest Range, 5 ha UPF Dadoh (Kot Block) Patch No-8, Naina Devi ji Forest Range, Bilaspur Forest Division, Distt. Bilaspur, पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रुप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
iv.	प्रस्तावित सी0ए0 भूमि, यदि राज्य सरकार के नाम है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	प्रस्तावित सी0ए0 भूमि, यदि राज्य सरकार के नाम है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज प्रयोक्ता अभिकरण एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा दिए गए। जो अनुपालना की रिर्पोट के साथ संलग्न है।
v.	वन मडंल अधिकारी यह सुनि चत करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूरक पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	वन मडंल अधिकारी द्वारा यह सुनि चत किया गया है कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूरक पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वच्छानुसार नहीं बदलेंगे।
vi.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी।	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सर्न्दभ की बचनबद्वता संलगन है।
vii.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में द र्ााए गये उदे य के अलावा किसी अन्य उदे य के लिए नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में द र्ााए गये उदे य के अलावा किसी अन्य उदे य के लिए नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
viii.	माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्दे ाों अनुसार, जब कभी भी NPV की रा ाी बढाई जाएगी तो उस बढी हुई NPVकी रा ाी को जमा करने के लिए प्रयोत्का एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी रा ाी जमा करना सुनिच्श्रित करेंगे।	माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्दे ाों अनुसार, जब कभी भी NPV की रा ाी बढाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की रा ाी को जमा करने के लिए प्रयोत्का एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी रा ाी जमा करना सुनिच्श्रित करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
ix.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति वि ोश को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति वि ोश को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
x.	केंद्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले– आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	केंद्रिय सरकार कि अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा। इस सम्बन्ध में

		प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
xi.	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक ि ाविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक ि ाविर नहीं लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
xii.	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोत्का एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है
xiii.	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध ा में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
xiv.	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध ा करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकताहै।	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्य रत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
xv.	प्रयोत्का एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परि संरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोत्का एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परि संरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
xvi.	प्रस्तावित संचरण लाईन के लिए रास्ते के अधिकार की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रस्तावित संचरण लाईन के लिए रास्ते के अधिकार की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
xvii.	कंडक्टर तथा पेंडो के बीच का फासला कम से कम 4.0 मीटर होना चाहिए। कंडक्टर के झुकाब तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। बिजली की निकासी बनाए रखने के लिए जब कभी आव यक होगा तो पेडों की काट छांट का कार्य स्थानिय वन मण्डलाधिकारी की अनुमति से किया जाएगा।	कंडक्टर तथा पेंडो के बीच का फासला कम से कम 4. 0 मीटर होना चाहिए। कंडक्टर के झुकाब तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। बिजली की निकासी बनाए रखने के लिए जब कभी आव यक होगा तो पेडों की काट छांट का कार्य स्थानिय वन मण्डलाधिकारी की अनुमति से किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
xviii.	प्र्योक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आव यक ग्रउंड़ कलियरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सिक्टि ब्रेकर स्थापित करेगी।	प्र्योक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आव यक ग्रउंड़ कलियरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सिक्टि ब्रेकर स्थापित करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
xix.	प्र्योक्ता अभिकरण अपनी लागत पर बर्ड फलाइट डाइवर्टर लगाएगा, जिन्हे पक्षियों को आहत होने से बचने के लिए ट्रांसमि ान लाईन के उपर कंडक्टर पर उपयोक्त दूरी पर लगाया जाएगा।	प्र्योक्ता अभिकरण अपनी लागत पर बर्ड फलाइट डाइवर्टर लगाएगा, जिन्हे पक्षियों को आहत होने से बचने के लिए ट्रांसमि ान लाईन के उपर कंडक्टर पर उपयोक्त दूरी पर लगाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
xx.	राज्य वन विभाग के पराम र्ा से प्रयोक्ता अभिकरण ट्रांसमि ान लाईन के RoW के निचे बौनी प्रजातियां अधिमानतः औशधिय पौधें की सृजन एवं रख रखाव के लिए योजना तैयार करेगा तथा इसका निशपादन वन विभाग द्वारा किया जाएगा।	राज्य वन विभाग के पराम र्ा से प्रयोक्ता अभिकरण ट्रांसमि ान लाईन के RoW के निचे बौनी प्रजातियां अधिमानतः औशधिय पौधें की सृजन एवं रख रखाव के लिए योजना तैयार करेगा तथा इसका निशपादन वन विभाग द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
xviii.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिदे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंब्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिदे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंब्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

xix.	संरक्षित क्षेत्रों/वनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सडक के किनारे स्पीड रेगुलेटिगं साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सडक के किनारे स्पीड रेगुलेटिगं साइनेज लगाए जाएंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
xxi.	यदि आव यक हो तो प्रयोत्का एजेंसी पर्यावण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आव यक होतो प्रयोत्का एजेंसी पर्यावण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
xxii.	मक निस्तारण जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।	परियोजना के निमार्ण से उतसर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैंका जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
xxiii.	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोत्का एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह–समाप्ति होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।
xxiv.	अन्य कोइ भी ' ार्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।
xxv.	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुछेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।
xxvi.	इनमें से किसी भी भार्त का उल्लंघन वनसंरक्षण अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दि ाानिर्दे ा 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।

भवदीय,

Signed by
Sanjay Sood
Date: 29-01-2025 16:48:05

नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०